17/3/26 | पत्रावली पेश हुई प्रा० पत्र धारा 251 (ए) खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली हस्ब जुमला हस्ब नियम के क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–27 / 23 तारीख रजु:–08.08.2023

उनवान

1. ब्रहमसिंह पुत्र जली, जाति गुर्जर, निवासी सहजपुर नयापुरा पटवार हल्का तुलसीपुरा तहसील व जिला करौली
2. रूपी पुत्र नवल, जाति गुर्जर, निवासी सहजपुर नयापुरा पटवार हल्का तुलसीपुरा तहसील व जिला करौली

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रूमा पुत्री नारायण पत्नि परताप गुर्जर निवासी सहजपुर हाल निवासी पीपलपुरा तहसील व जिला करौली
2. अतरसिंह आयु 38 साल
3. भाग्यसिंह आयु 32 साल
4. भूरसिंह आयु 28 साल

   पुत्रान रामप्रसाद जाति गुर्जर नि. सहजपुर नयापुरा तहसील व जिला करौली
5. संपत्ति बेवा रामप्रसाद आयु 65 साल जाति गुर्जर निवासी सहजपुर नयापुरा तहसील व जिला करौली
6. भागवानी पुत्री रामप्रसाद पत्नि राजूलाल आयु 40 साल जाति गुर्जर निवासी सहजपुर नयापुरा तह व जिला करौली हाल निवासी बाडा बाजिदपुर तहसील नादौती जिला करौली
7. मंजू पुत्री रामप्रसाद पत्नि वीरसिंह आयु 38 साल जाति गुर्जर निवासी सहजपुर नयापुरा तहसील व जिला करौली हाल निवासी जगदीशपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
8. सूपत पुत्री रामप्रसाद पत्नि भरत आयु 37 साल निवासी सहजपुर नयापुरा तहसील व जिला करौली हाल निवासी बाडा बाजिदपुर तहसील नादौती जिला करौली
9. निरो पुत्री रामप्रसाद पत्नि करतार आयु 35 साल जाति गुर्जर निवासी सहजपुर नयापुरा तहसील व जिला करौली निवासी जगदीशपुरा तहसील टोडाभीम करौली
10. किन्ता पुत्री रामप्रसाद पत्नि अशोक आयु 32 साल जाति गुर्जर निवासी सहजपुर नयापुरा तहसील व जिला करौली हाल निवासी बाडा बाजिदपुर तहसील नादौती जिला करौली

–अप्रार्थीगण

–::प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) आर टी एक्ट::–

–::निर्णय::– दिनांक:– 17/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आपके उपखण्ड में हम प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि गांव सहजपुर नयापुरा पटवार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

हल्का तुलसीपरा तहसील व जिला करौली में स्थित है। जिसका रास्ता हमेशा से आराजी खसरा नं0 9 सी सी रोड रास्ता आम रास्ते में होकर खसरा नं0 45 में होकर चलता चला आ रहा है जो प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 44 को आने का जाने का यही एक मात्र रास्ता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नक्शे में वरंग लाल से दर्शित कर बनाया गया है जो कदीमी रास्ता है इस रास्ते के अलावा हमारी खातेदारी की जमीन पर पैदल आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य साधन कृषि कार्य हेतु लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। रास्ते की जमीन के लिये 15 फीट चौडाई की आवश्यकता हैं। खसरा नं0 9 सी सी रास्ता आम रास्ते में होकर खसरा नं0 45 में होकर प्रवेश करते है जो हम अपनी आराजी खसरा नं0 44 मे आते है जो हमारी खातेदारी की भूमि हैं। अप्रार्थीगण रूमा वगै0 हमारे खेतों को आने जाने का रास्ता खसरा नं0 45 में होकर है जिसे बंद करने पर आमदा है इसलिये हम प्रार्थीगणों द्वारा विधिवत तौर पर रास्ता भूमि की हम को स्वीकृति दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर एक्ट के तहत प्रस्तुत है। गांव सहजपुर नयापुरा पटवार हल्का तुलसी पुरा तहसील व जिला करौली में स्थित है। आराजी ख.न. 9 सीसी रास्ता में होकर आराजी खसरा नं0 45 में होकर पश्चिम व दक्षिण दिशा के रास्ते में होकर खसरा नं0 44 में हमेशा हमेशा से प्रवेश कर आते जाते है प्रार्थीगणों की खातेदारी खसरा नं0 45 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खातेदार रामप्रसाद की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। जिनका अभी नामान्तकरण नही खुला है। उसमें होकर हम प्रार्थीगण का रास्ता चहा गया है उसको हमारे द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में हमारे द्वारा डाले गये वरंग लाल मार्क में होकर ख.न. 9 सी सी रास्ते मे होकर ख.न. 45 मे प्रवेश करते हुऐ खसरा नं0 44 को जाने के लिये 15 फीट चौडाई का रास्ता इस आवेदन है तहत क्लेम किया है जिसकी स्वीकृति हम प्रार्थीगण के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया जाना है हम प्रार्थीयान उचित दर से धनराशि नियमानुसार अदा करने को तैयार है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जबाव

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नं0 9 में होकर सीसी रोड रास्ता हमेशा हमेशा का नही है अपितु उक्त सीसी रोड पंचायत द्वारा कुछ वर्ष पुर्व बनाया गया है जो ख0न0 45 में होकर नही जाता है अपितु खसरा नं0 45, 46,47 के दक्षिण सिरे से लगी भूमि खसरा नं0 69 में होकर ग्राम आबादी को जाता है और इस रास्ता से सटेवा खसरा नं0 46 व 47 के मध्य करीब 12 फुट चौडा रास्ता है जिस रास्ता में होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं0 44 व 43 मे आवागमन करते है तथा खसरा नं0 10 में होकर भी प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नं0 44 व 43 में आने जाने के लिये रास्ता बना रखा है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 45 में होकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 44 में आने जाने के लिये कोई रास्ता मौके पर नही है ना ही कभी पूर्व में रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में खसरा नं0 45 में जिस सीन पर वरंग सुर्ख से रास्ता दर्शित किया है उस सीन पर अप्रार्थीगण की मकानियत एवं लेअ–बाथ बने हुये है और रास्ता के लिये उक्त सीन पर कोई भूमि नही है ना ही रास्ता के कोई अलामात उक्त सीन पर मौजूद है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि खसरा नं0 45 में वंरंग सुर्ख से दर्शित रास्ता कदीमी रास्ता है और इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को आने जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली एवं अन्य साधन ले जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि उनको अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में से 15 फुट चौडे रास्ता की आवश्यकता है और यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थीगण खसरा नं0 9 में सीसी रोड से होकर खसरा नं0 45 में होकर अपनी आराजी खसरा नं0 44 में आते जाते है है जिसे अप्रार्थीगण बन्द करने पर आमादा है। सत्यता यह है कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में होकर कोइ रास्ता कभी नही रहा है ना ही वर्तमान में है और खसरा नं0 45 में रास्ता के कोई अवशेष मौजूद नही है। प्रार्थीगण की आराजी में जाने आने के लिये खसरा नं0 46 व 47 के मध्य से रासता है तथा खसरा नं0 10 में होकर भी रास्ता है जिन दोनों रास्तो को प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में छिपाया है और सलंग्न नक्शा प्रार्थना पत्र में गलत तरीके से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में होकर वरंगसुर्ख से रास्ता दर्शित किया है जबकि उक्त वरंग सुर्ख स्थान के मध्य बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है जिन

उपखण्ड अधिकारी
कठौली (राज0)

समस्त तथ्यों को भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में छिपाया है। प्रार्थीगण बेईमानीपूर्वक गलत तथ्यों के आधार पर हम अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता लेना चाहते है जबकि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में होकर कभी रास्ता नही रहा है। आराजी में होकर रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। किन्तु प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 मे होकर कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। आरजी खसरा नं0 45 में होकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 44 में कभी भी रास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है और नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र में दर्शित सीन पर खसरा नं 45 में रास्ता के कोई अलामात नही है अपितु अप्रार्थीगण का पुख्ता निर्माण है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 44 में आने जाने के लिये खसरा नं0 46 व 47 के मध्य मे होकर तथा खसरा नं0 10 में होकर दो–दो रास्ता मौजूद है जिन रास्तों से होकर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में छिपाया है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण गरीब किसानों की आरजी में से डीएलसी दर पर कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि से वंचित हो जावेंगे और अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी के द्वारा खसरा नंबर 45 में से रास्ता चाहा गया है जिसके पूर्वी–दक्षिणी कोने पर खसरा नंबर 45 में खातेदारों द्वारा पक्का मकान बना रखा है। जिसमें वह निवास करते है एवं खसरा नंबर 45 व खसरा नंबर 44 की सीमा पर लगभग 3 फीट उंची पक्की दीवार बनी हुई है। वादीगण खसरा नंबर 44 में निवासी करता है।

बहस वकील सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस वकील प्रार्थी का कथन है कि हम प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि गांव सहजपुर नयापुरा पटवार हल्का तुलसीपरा तहसील व जिला करौली में स्थित है। जिसका रास्ता हमेशा से आराजी खसरा नं0 9 सी सी रोड रास्ता आम रास्ते में होकर खसरा नं0 45 में होकर चलता चला आ रहा है जो प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 44 को आने का जाने का यही एक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मात्र रास्ता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नक्शे में वरंग लाल से दर्शित कर बनाया गया है जो कदीमी रास्ता है इस रास्ते के अलावा हमारी खातेदारी की जमीन पर पैदल आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य साधन कृषि कार्य हेतु लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। रास्ते की जमीन के लिये 15 फीट चौडाई की आवश्यकता हैं। खसरा नं0 9 सी सी रास्ता आम रास्ते में होकर खसरा नं0 45 में होकर प्रवेश करते है जो हम अपनी आराजी खसरा नं0 44 मे आते है जो हमारी खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण रूमा वगै0 हमारे खेतों को आने जाने का रास्ता खसरा नं0 45 में होकर है जिसे बंद करने पर आमदा है इसलिये हम प्रार्थीगणों द्वारा विधिवत तौर पर रास्ता भूमि की हम को स्वीकृति दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर एक्ट के तहत प्रस्तुत है। गांव सहजपुर नयापुरा पटवार हल्का तुलसी पुरा तहसील व जिला करौली में स्थित है। आराजी ख.न. 9 सीसी रास्ता में होकर आराजी खसरा नं0 45 में होकर पश्चिम व दक्षिण दिशा के रास्ते में होकर खसरा नं0 44 में हमेशा हमेशा से प्रवेश कर आते जाते है प्रार्थीगणों की खातेदारी खसरा नं0 45 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खातेदार रामप्रसाद की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। जिनका अभी नामान्तकरण नही खुला है। उसमें होकर हम प्रार्थीगण का रास्ता चहा गया है उसको हमारे द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में हमारे द्वारा डाले गये वरंग लाल मार्क में होकर ख.न. 9 सी सी रास्ते मे होकर ख.न. 45 मे प्रवेश करते हुऐ खसरा नं0 44 को जाने के लिये 15 फीट चौडाई का रास्ता इस आवेदन है तहत क्लेम किया है जिसकी स्वीकृति हम प्रार्थीगण के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया जाना है हम प्रार्थीयान उचित दर से धनराशि नियमानुसार अदा करने को तैयार है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। खसरा नं0 9 में होकर सीसी रोड रास्ता हमेशा हमेशा का नही है अपितु उक्त सीसी रोड पंचायत द्वारा कुछ वर्ष पुर्व बनाया गया है जो ख0न0 45 में होकर नही जाता है अपितु खसरा नं0 45, 46,47 के दक्षिण सिरे से लगी भूमि खसरा नं0 69 में होकर ग्राम आबादी को जाता है और इस रास्ता से सटेवा खसरा नं0 46 व 47 के मध्य करीब 12 फुट चौडा रास्ता है जिस रास्ता में होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं0 44 व 43 मे आवागमन करते है तथा खसरा नं0 10 में होकर भी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नं0 44 व 43 में आने जाने के लिये रास्ता बना रखा है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 45 में होकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 44 में आने जाने के लिये कोई रास्ता मौके पर नही है ना ही कभी पूर्व में रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में खसरा नं0 45 में जिस सीन पर वरंग सुर्ख से रास्ता दर्शित किया है उस सीन पर अप्रार्थीगण की मकानियत एवं लेअ–बाथ बने हुये है और रास्ता के लिये उक्त सीन पर कोई भूमि नही है ना ही रास्ता के कोई अलामात उक्त सीन पर मौजूद है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि खसरा नं0 45 में वंरग सुर्ख से दर्शित रास्ता कदीमी रास्ता है और इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को आने जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली एवं अन्य साधन ले जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि उनको अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में से 15 फुट चौडे रास्ता की आवश्यकता है और यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थीगण खसरा नं0 9 में सीसी रोड से होकर खसरा नं0 45 में होकर अपनी आराजी खसरा नं0 44 में आते जाते है है जिसे अप्रार्थीगण बन्द करने पर आमादा है। सत्यता यह है कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में होकर कोइ रास्ता कभी नही रहा है ना ही वर्तमान में है और खसरा नं0 45 में रास्ता के कोई अवशेष मौजूद नही है। प्रार्थीगण की आराजी में जाने आने के लिये खसरा नं0 46 व 47 के मध्य से रासता है तथा खसरा नं0 10 में होकर भी रास्ता है जिन दोनों रास्तो को प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में छिपाया है और सलंग्न नक्शा प्रार्थना पत्र में गलत तरीके से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में होकर वरंगसुर्ख से रास्ता दर्शित किया है जबकि उक्त वरंग सुर्ख स्थान के मध्य बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है जिन समस्त तथ्यों को भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में छिपाया है। प्रार्थीगण बेईमानीपूर्वक गलत तथ्यों के आधार पर हम अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता लेना चाहते है जबकि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 में होकर कभी रास्ता नही रहा है। आराजी में होकर रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। किन्तु प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 45 मे होकर कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। आरजी खसरा नं0 45 में होकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 44 में कभी भी रास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है और नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र में दर्शित सीन पर खसरा नं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

45 में रास्ता के कोई अलामात नही है अपितु अप्रार्थीगण का पुख्ता निर्माण है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 44 में आने जाने के लिये खसरा नं0 46 व 47 के मध्य मे होकर तथा खसरा नं0 10 में होकर दो–दो रास्ता मौजूद है जिन रास्तों से होकर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में छिपाया है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण गरीब किसानों की आरजी में से डीएलसी दर पर कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि से वंचित हो जावेंगे और अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार, करौली दिनांक 06.03.2026 का अवलोकन किया गया। जिसमें खसरा नंबर 44 में प्रार्थीयान द्वारा पक्के निर्माण कर रिहायश की जा रही है और पक्की दीवार बनी हुई है एवं खसरा नंबर 45 में अप्रार्थीयान के मकानात बने हुए है। जिनमें प्रार्थीयान निवास कर रहे है और 3 फीट उंची पक्की दीवार बनी हुई। भूमि आवासीय उपयुक्त में चली आ रही है। प्रार्थीयान द्वारा चाहे गये रास्ते के स्थान पर अप्रार्थीयान की पक्की मकानीयत व दीवार बनी हुई है। धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत कृषि उपयोग के लिए ही आवागमन को पूर्व में संचालित रास्ता को चौडा करने एवं नवीन रास्ता दिये जाने का प्रावधान है जबकि प्रकरण में प्रस्तुत नक्शानुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 10 के खातेदारों को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि खसरा नंबर 10 व 44 की सीमाऐं आपस में सटी हुई है जो खसरा नंबर 45 से भी सटा हुआ है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान पक्षकारों के कुसंयोजन एवं भूमि खसरा नंबर 44 व 45 में आबादी निर्माण व रिहायश होने से कृषि भूमि उपयोग नहीं होने से चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)